

प्रारंभिक परीक्षा

सोनभद्र के भूजल में 'अत्यधिक फ्लोराइड'

संदर्भ

उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र, पेयजल में फ्लोराइड संदूषण से संबंधित बड़ी समस्या का सामना कर रहा है।

कारण ?

- इस क्षेत्र में पाई जाने वाली **ग्रेनाइट चट्टानें** प्राकृतिक रूप से पानी में फ्लोराइड छोड़ती हैं।
- चूँकि अधिकांश ग्रामीण पीने के पानी के लिए **बोरवेल और हैंडपंप** पर निर्भर हैं, इसलिए वे अनजाने में उच्च स्तर के फ्लोराइड का सेवन कर रहे हैं।

फ्लोराइड के बारे में -


- **फ्लोराइड एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो मिट्टी, पानी, पौधों और चट्टानों में पाया जाता है।**
- **रासायनिक प्रकृति:** यह फ्लोरीन का आयनिक रूप है, जो एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है।
- **स्रोत:**
 - **प्राकृतिक:** भूजल और ज्वालामुखी उत्सर्जन।
 - **कृत्रिम:** पानी की आपूर्ति, टूथपेस्ट जैसे दंत उत्पादों और कुछ फार्मास्यूटिकल्स में मिलाया जाता है।
- **फ्लोराइड के उपयोग -**
 - **दंत स्वास्थ्य:** दाँतों के इनेमल को मजबूत करता है और कैविटी को कम करता है।
 - **औद्योगिक अनुप्रयोग:** एल्युमीनियम, कीटनाशक और रेफ्रिजरेंट के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
 - **जन स्वास्थ्य:** दाँतों की सड़न को कम करने के लिए पीने के पानी में मिलाया जाता है, जिसे **वॉटर फ्लोराइडेशन** के रूप में जाना जाता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:**
 - **फ्लोरोसिस:**
 - **डेंटल फ्लोरोसिस:** बचपन में फ्लोराइड के अत्यधिक संपर्क से दाँतों पर सफेद धब्बे या धारियाँ पड़ सकती हैं।
 - **स्केलेटल फ्लोरोसिस:** लंबे समय तक उच्च फ्लोराइड का सेवन जोड़ों में दर्द, अकड़न और हड्डियों को नुकसान पहुँचा सकता है।
 - **न्यूरोटॉक्सिसिटी:** फ्लोराइड के उच्च स्तर के संपर्क से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास विकृत हो सकता है।
 - **थायरॉयड फंक्शन:** अत्यधिक फ्लोराइड थायरॉयड की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।

भारत में फ्लोराइड संदूषण -

- अनुमेय सीमा:
 - भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) - 1-1.5 मिलीग्राम/लीटर। ऐसा माना जाता है कि इससे ऊपर या नीचे का स्तर दांतों की सड़न का कारण बन सकता है।
 - डब्ल्यूएचओ - 1.5 मिलीग्राम/लीटर
- 23 राज्यों के 370 जिलों में अलग-अलग स्थानों पर फ्लोराइड का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है।
- राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत में अपेक्षाकृत उच्च फ्लोराइड-दूषित राज्य हैं।

स्रोत:

- [Indian Express - Fluoride contamination](#)



वित्तीय वर्ष 2024-25 में बच्चे गोद लेने का रिकॉर्ड

संदर्भ

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4,515 दत्तक ग्रहण दर्ज किए जाने के साथ बच्चे को गोद लेने में महत्वपूर्ण सुधार देखा है, जो 12 वर्षों में सबसे अधिक आंकड़ा है।

गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में -

- गोद लेना एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चे को उसके जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है ताकि वह अपने दत्तक माता-पिता का वैध बच्चा बन जाए।
- बच्चे को गोद लेने से संबंधित कानून:
 - हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (**HAMA**)
 - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- शामिल हितधारक:
 - **CARA**: गोद लेने की प्रक्रिया की देखरेख करता है और दिशा-निर्देश जारी करता है।
 - **SARA**: गोद लेने और गैर-संस्थागत देखभाल के लिए राज्य-स्तरीय नोडल संस्था।
 - **SAA**: विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां बच्चों को गोद लेने के लिए रखती हैं।
 - **AFAA**: अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की सुविधा प्रदान करती हैं।
 - **DCPU**: जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ गोद लेने के योग्य बच्चों की पहचान करती हैं।

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY (CARA)



- It is a statutory body established under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
- Nodal Ministry: Union Ministry of Women & Child Development
- It deals with adoption of orphan, abandoned and surrendered children through its associated/recognised adoption agencies
- CARA is designated as the Central Authority to deal with inter-country adoptions in accordance with the provisions of the *Hague Convention on Inter-country Adoption, 1993*



CARINGS

A database of children and registration of prospective parents is done on a centralised Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS), which is maintained by CARA

स्रोत:

- [PIB - Record 4,515 Child Adoptions](#)

राज्यसभा ने एयरलाइन-पट्टाधारक विवादों के लिए विधेयक पारित किया

संदर्भ

हाल ही में राज्यसभा ने 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025' पारित किया, जिसका उद्देश्य केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के प्रावधानों को कानून में बदलना है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान -

- **भारत में CTC का कानूनी कार्यान्वयन:**
 - धारा 3: कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को भारत में कानून की शक्ति प्राप्त होगी।
 - कार्यान्वयन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) नियामक प्राधिकरण होगा।
- **देनदारों (एयरलाइंस) की ज़िम्मेदारियाँ:**
 - एयरलाइनों को विमान और इंजन से संबंधित बकाया राशि का रिकॉर्ड बनाए रखना और जमा करना होगा।
 - एयरलाइनों और पट्टेदारों के बीच वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- **लेनदारों (पट्टाधारक और वित्तपोषक) के अधिकार:**
 - लेनदार CTC के तहत संपत्ति वसूली अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।
 - कार्रवाई करने से पहले, किसी भी एयरलाइन डिफॉल्ट के बारे में DGCA को सूचित किया जाना चाहिए।
- **एयरलाइन दिवालियापन के दौरान विमान का संचालन:**
 - समाधान करने वाला पेशेवर विमान की परिसंपत्तियों को 60 दिनों तक अपने पास रख सकता है, बशर्ते कि उपयोग और रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाए।
 - यह प्रावधान विवादास्पद है क्योंकि विमान पट्टे पर देने वाला उद्योग तत्काल परिसंपत्ति पुनः कब्ज़ा करना पसंद करता है।
- **दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 से बहिष्करण:** कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना (अप्रैल 2024) के अनुसार, विमान को दिवाला कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

केप टाउन कन्वेंशन (CTC) - 2001

- **CTC एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो निम्नलिखित से संबंधित लेन-देन को मानकीकृत करती है:**
 - विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी चल संपत्ति।
 - लेनदारों, वित्तपोषकों और पट्टेदारों के लिए कानूनी सुरक्षा।
 - एयरलाइन डिफॉल्ट या दिवालियापन के दौरान परिसंपत्ति वसूली के नियम।
- **CTC में भारत की स्थिति**
 - 2008 में हस्ताक्षरित किन्तु अनुसमर्थित नहीं, इसलिए इसके प्रावधान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे।
 - नया विधेयक कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को भारत में कानून का बल प्रदान करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय विमानन वित्तपोषण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

भारत में विमान पट्टे (Aircraft Leasing) का महत्व -

- भारत के घरेलू एयरलाइन बेड़े में लगभग 850 विमानों में से 86%, सीधे खरीदे जाने के स्थान पर पट्टे पर लिए गए हैं।
- विमान पट्टे पर लेने से, एयरलाइंस को अत्यधिक पूंजी निवेश से बचकर तरलता बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है।

स्रोत:

[The Hindu - CTC](#)

सिलिकॉन-कार्बन (Si-C) बैटरियां

संदर्भ

कई शीर्ष एंड्रॉयड स्मार्टफोन ब्रांडों ने अपने प्रमुख डिवाइसों में Si-C बैटरी को शामिल किया है

सिलिकॉन-कार्बन (Si-C) बैटरियां क्या हैं?

- सिलिकॉन-कार्बन बैटरियां लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में उन्नत हैं, जिनमें समान लिथियम-आधारित कैथोड को बनाए रखा जाता है, जबकि पारंपरिक ग्रेफाइट एनोड को सिलिकॉन-कार्बन कम्पोजिट से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- लिथियम-आयन बैटरियों से मुख्य अंतर:
 - ✓ उच्च ऊर्जा घनत्व → प्रति ग्राम अधिक चार्ज रखता है, जिससे बैटरी जीवन में सुधार होता है।
 - ✓ छोटा और हल्का → अधिक ऊर्जा संग्रहित करते हुए इसे पतला बनाया जा सकता है।
 - ✓ तीव्र चार्जिंग → तीव्रता से विद्युत् पुनःपूर्ति की अनुमति प्रदान करता है।

सिलिकॉन-कार्बन बैटरी की चुनौतियाँ

- **सिलिकॉन स्वेलिंग की समस्या:** चार्जिंग के दौरान सिलिकॉन 300% तक फैल जाता है, जिसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:
 - संरचनात्मक क्षति और दरार।
 - बैटरी का जीवनकाल कम होना।
 - लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में, प्रदर्शन में तीव्रता से गिरावट।
- **उच्च विनिर्माण लागत:** सिलिकॉन-कार्बन एनोड का उत्पादन, ग्रेफाइट एनोड की तुलना में अधिक महंगा है।
- **व्यावहारिक ऊर्जा घनत्व भिन्नताएँ:** यद्यपि सैद्धांतिक ऊर्जा क्षमता अधिक होती है, तथापि वास्तविक जगत में प्रदर्शन उपकरण एवं उपयोग के आधार पर भिन्न होता है।



स्रोत:

- [Indian Express - Silicon batteries](#)

समाचारों में स्थान

ताइवान जलडमरूमध्य

- हाल ही में चीन ने ताइवान जलडमरूमध्य के मध्य तथा दक्षिणी हिस्सों में, "स्ट्रेट थंडर-2025A" नामक दो दिवसीय सैन्य अभ्यास पूर्ण किया।




- अवस्थिति:** चीन का फुज़ियान प्रांत (पश्चिम) और ताइवान (पूर्व)।
- यह 110 मील चौड़ा (180 किमी) जलमार्ग है, जो मुख्य भूमि चीन एवं ताइवान को अलग करता है।**
- इसे **फॉर्मोसा जलडमरूमध्य** भी कहा जाता है।
- विश्व का एक-तिहाई नौवहन यातायात, ताइवान जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- यह दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है।
- बहने वाली नदियाँ:** जिउलॉन्ग और मिन।
- ताइवान के प्रमुख बंदरगाह:** काऊशुंग, अनपिंग, कीलुंग, सुआओ।
- स्रोत:** **The Hindu - Taiwan Strait**

समाचार संक्षेप में

एबेल पुरस्कार – 2025

- 2025 का गणित के लिए एबेल पुरस्कार, 78 वर्षीय जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है।
- उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया, विशेष रूप से D-मॉड्यूल के सिद्धांत को विकसित करने और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए।



एबेल पुरस्कार के संदर्भ में -

- यह गणित के क्षेत्र में, विश्व का सर्वोच्च सम्मान है।
- इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829) के नाम पर रखा गया है।
- इसकी स्थापना 2001 में नॉर्वे सरकार द्वारा की गई थी।
- यह प्रतिवर्ष नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है।
- एबेल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एक विकल्प माना जाता है, जिसमें गणित के लिए कोई श्रेणी शामिल नहीं है।

स्रोत:

- [NDTV - Abel Prize](#)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पीड़ितों को, PMNRF से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

PMNRF के संदर्भ में -

- 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा PMNRF की स्थापना, निम्नलिखित आपदाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी:
 - प्राकृतिक आपदाएँ (भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि)।
 - प्रमुख दुर्घटनाएँ (आग की घटनाएँ, औद्योगिक विस्फोट आदि)।
 - गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सीय उपचार (हृदय शल्य चिकित्सा, किडनी प्रत्यारोपण, आदि)।
- इस कोष का प्रबंधन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा यह व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्राप्त स्वैच्छिक दान से संचालित होता है। (कोई बजटीय सहायता नहीं)।
- PMNRF में योगदान को धारा 80(G) के तहत, आयकर से छूट प्राप्त है।
- PMNRF का ऑडिट सरकार के बाहर एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। (CAG द्वारा नहीं)

स्रोत:

- [PIB - PMNRF](#)

संपादकीय सारांश

AI-जनरेटेड CSAM के खतरे को संबोधित करना

संदर्भ

ब्रिटिश सरकार के विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विभाग ने एआई सुरक्षा संस्थान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट 2025 जारी की।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी

रिपोर्ट में **बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM)** के निर्माण, उसे रखने और प्रसारित करने में एआई उपकरणों द्वारा उत्पन्न आसन्न जोखिम पर प्रकाश डाला गया है।

CSAM के बारे में -

- **CSAM का तात्पर्य बच्चों के यौन रूप से स्पष्ट चित्रण को दर्शाने वाले ऑडियो, वीडियो या छवियों से है।**
- यूनाइटेड किंगडम CSAM का उत्पादन करने में सक्षम एआई उपकरणों को लक्षित करने के लिए एक विधायी प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।
- 2023 के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के एक पेपर ने जनरेटिव एआई की सजीव छवियां बनाने की क्षमता को चिह्नित किया, खासकर बच्चों की।
- इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ) की रिपोर्ट (अक्टूबर 2024) ने ओपन वेब पर CSAM के प्रसार पर प्रकाश डाला।
- इन विकासों को देखते हुए, भारत को एआई-संचालित CSAM को संबोधित करने और दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करना चाहिए।

हालिया घटनाक्रम: ब्रिटेन का अग्रणी कानून -

- ब्रिटेन का आगामी कानून केवल अपराधी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपकरण-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - CSAM उत्पन्न करने में सक्षम AI उपकरणों को रखना, बनाना या वितरित करना अवैध है।
 - पीडोफाइल मैनुअल को रखने पर प्रतिबंध लगाना जो व्यक्तियों को CSAM के लिए एआई का उपयोग करने में मार्गदर्शन करते हैं।

अपेक्षित लाभ -

- **निवारण और समग्र दृष्टिकोण:** एआई उपकरणों के कब्जे को अपराध घोषित करके, कानून निवारक तंत्र को मजबूत करता है।
- **अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी:** अधिकारी नुकसान होने से पहले तैयारी के चरण में कार्रवाई कर सकते हैं।
- **बच्चों पर मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव को कम करना:** यह CSAM प्रसार के प्रारंभिक प्रभावों को संबोधित करता है।
- **विधायी अंतराल को पाटना:** AI-जनित CSAM को तब भी पहचानता है जब कोई वास्तविक बच्चा चित्रित नहीं होता है।

भारत की तैयारी: कानूनी ढांचे में मौजूदा खामियां -

- **बच्चों के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराध:**
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 2022:** बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि देखी गई।

- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी):** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत, अप्रैल 2024 तक 1.94 लाख बाल पोर्नोग्राफी मामले दर्ज किए गए।
- **एनसीएमईसी (यूएसए) के साथ सहयोग:** 2019 से, भारत के एनसीआरपी को नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए (मार्च 2024 तक) से 69.05 लाख साइबर टिप-लाइन रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।
- **विधायी कमियाँ:** मौजूदा कानून AI-जनित CSAM को संबोधित नहीं करते हैं।
 - CSAM निर्माण को सुविधाजनक बनाने वाले एआई उपकरणों या प्लेटफार्मों को लक्षित करने पर कोई जोर नहीं दिया गया है।

भारत में CSAM से निपटने के लिए मौजूदा कानून

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000:**
 - **धारा 67B:** बच्चों को चित्रित करने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012:**
 - **धारा 13:** अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है।
 - **धारा 14:** किसी भी रूप में बाल पोर्नोग्राफी का भंडारण अपराध है।
 - **धारा 15:** यौन संतुष्टि के लिए बच्चों के उपयोग को अपराध घोषित करता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस):**
 - **धारा 294:** अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण या सार्वजनिक प्रदर्शन पर दंड का प्रावधान करती है।
 - **धारा 295:** बच्चों को अश्लील सामग्री बेचना, वितरित करना या प्रदर्शित करना अवैध बनाता है।

भारत के लिए योजना: कानूनी ढांचे को मजबूत करना -

- **CSAM की परिभाषा का विस्तार करना:** एनएचआरपी एडवाइजरी (अक्टूबर 2023) के अनुसार, इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए पीओसीएसओ अधिनियम में 'बाल पोर्नोग्राफी' के स्थान पर CSAM को शामिल किया जाए।
- **आईटी अधिनियम में 'यौन रूप से स्पष्ट' को परिभाषित करना:** धारा 67B में 'यौन रूप से स्पष्ट' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक समय में CSAM की पहचान और ब्लॉक करने में मदद मिल सके।
- **आईटी अधिनियम में 'मध्यस्थ' की परिभाषा को व्यापक बनाना:** वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन), वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) और क्लाउड सेवाओं को इसमें शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे CSAM-संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।
- **उभरती हुई तकनीक के लिए विधायी संशोधन:** कानूनों को एआई, डीपफेक तकनीक और CSAM का उत्पादन करने वाले जनरेटिव मॉडल से होने वाले जोखिमों को संबोधित करना चाहिए।
- **साइबर अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदा कन्वेंशन को अपनाना:** भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आपराधिक उद्देश्यों के लिए आईसीटी के उपयोग का मुकाबला करने पर संयुक्त राष्ट्र मसौदा कन्वेंशन का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए।
- **डिजिटल इंडिया अधिनियम में एआई-विशिष्ट प्रावधानों को एकीकृत करना:** प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 (आईटी अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित करने के लिए) में यूके मॉडल के आधार पर एआई-संबंधित CSAM प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत को AI-संचालित CSAM खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना चाहिए। यूके का आगामी AI कानून एक प्रगतिशील मॉडल पेश करता है, जो अभियुक्त-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर उपकरण-केंद्रित निरोध रणनीति की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह के कानूनी तंत्र को अपनाकर, भारत

बाल संरक्षण कानूनों को मजबूत कर सकता है, AI-जनित दुर्व्यवहार से निपट सकता है और डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है।

स्रोत: [The Hindu: Digital child abuse, the danger of AI-based exploitation](#)

